

# NATIONAL PEACE PARTY SECULAR

दिनांक 56/57/2013/श.ई.ओ. 1/1

वसी अहमद सिद्दीकी  
राष्ट्रीय अध्यक्ष

बी.पी. 8/14ए, करेली, इलाहाबाद, उ० प्र०  
फोन न०. 9198607280, 9305651285  
ई-मेल : w.a.siddiqui.npps@gmail.com

सेवा में,

10 DEC 2014

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ० प्र० महोदय  
चतुर्थतल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001.

विषय- लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014, में राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

आदरणीय महोदय,

1. श्रीमान जी के पत्र सं०-2583/सी.ई.ओ.-2-10/2-2013 दिनांक : 31 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में ।
2. सन्दाभाकित पत्र के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि नेशनल पीस पार्टी सेकुलर की राजनैतिक दल के रूप में पंजीयन प्रक्रिया 11.12.2013 को भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोका रोड, नई दिल्ली से निर्गत की गयी जो पार्टी मुख्यालय में दिसम्बर 2013 के अंतिम क्षणों में प्राप्त हुयी, तदपश्चात् पैनकार्ड के लिए आवेदन किया गया जो प्रथम बार निरस्त कर दिया गया, पुनः आवेदन करने पर जून 2014 में पैनकार्ड प्राप्त हुआ, जिसकी गर्वनमेन्ट नोटरी द्वारा सत्यापित छायाप्रति माननीय निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया गया। कागजी / पत्राचार प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण नेशनल पीस पार्टी सेकुलर ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 के निर्वाचन में मार्गदर्शिता बनाये रखने एवं भारत निर्वाचन आयोग के मानक विन्दुओं को ध्यान में रखकर भाग नहीं लिया। ऐसी दशा में नेशनल पीस पार्टी सेकुलर निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध / प्रेषित न कर पाने के लिए विधिसम्मत है।
3. आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय का समय-समय पर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। सहयोग के लिए धन्यवाद।

दिनांक-03.12.2014

सादर

भवदीय

(वसी अहमद सिद्दीकी)

राष्ट्रीय अध्यक्ष

मो०-09198607280





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

62AC 928146

### शपथपत्र

शपथपत्र मिनजानिब वसी अहमद सिद्दीकी (नेशनल पीस पार्टी सेकुलर, राष्ट्रीय अध्यक्ष)  
निवासी-रसूलपुर ब्यूर पोस्ट औधन, तह0 चायल, जनपद- कौशाम्बी पिन-212218 उ०प्र० ।

.....शपथकर्ता


पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में ।

में उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं०-76/PPEMS/Transparency /2014 दि० 14.10.2014 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के पत्र सं०-2583/सी०ई०ओ०-2-10/2-2013 दिनांक 28 अक्टूबर 2014 के सन्दर्भ में निम्नलिखित बयान करता हूँ :-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पत्रे का निवासी है और शपथपत्र में दिए गये कथनों से बाखूबी वाकिफ है।



2. यह कि भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोका रोड, नई दिल्ली, नेशनल पीस पार्टी सेकुलर की राजनैतिक दल के रूप में पंजीयन प्रक्रिया 11.12.2013 को निर्गत की गयी, जो दल के मुख्यालय में दिसम्बर 2014 के अंतिम क्षणों में प्राप्त हुई।
3. यह कि नेशनल पीस पार्टी सेकुलर ने निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार दल के पैनकार्ड हेतु आवेदन किया, जो प्रथम बार निरस्त हो गया। पुनः आवेदन करने पर मई 2014 में दल का पैनकार्ड प्राप्त हुआ, जिसकी सत्यापित छायाप्रति भारत निर्वाचन आयोग को निर्धारित 6 माह के अन्दर प्रेषित कर दिया गया।
4. यह कि नेशनल पीस पार्टी सेकुलर का बैंक एकाउन्ट खाता सं0-13600200000164 बैंक आफ बड़ौदा, शाखा-नेवादा, कौशाम्बी, उ0प्र0 में दिनांक 09.10.2014 को खुला।
5. यह कि कागजी/पत्राचार प्रक्रिया अक्टूबर 2014 तक जारी रहने के कारण एवं पारदर्शिता बनाये रखने तथा भारत निर्वाचन आयोग के मानक बिन्दुओं को स्थापित रखने के उद्देश्य के अन्तर्गत दल ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 के चुनाव में न ही प्रत्याशी उतारा और न ही पार्टी का लेखा-जोखा तैयार हो पाया।
6. यह कि नेशनल पीस पार्टी सेकुलर निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित सूचना / पार्टी फण्ड का वार्षिक लेखा-जोखा 2013-14 प्रस्तुत न कर पाने के लिए विधि संमत्त है और छूट की अधिकारी है।

  
शपथकर्ता

सत्यापन-

मैं उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र की धारा-1 लगायत 6 मेरी निजी जानकारी में सब सत्य एवं सही है कुछ भी असत्य नहीं है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

यह सत्यापन आज दिनांक 03.12.2014 को कानपुर कचेहरी परिसर में किया गया।



03/12/14

  
शपथकर्ता